

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3687/2024


दिनांक : 08.11.2024

श्री अनिल कुमार आर्य (RJ00274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को दिनांक 11.11.2024 से 16.11.2024 तक 06 दिनों का अर्द्धवैतनिक अवकाश दिनांक 09.11.2024 से 10.11.2024 एवं 17.11.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री आर्य की अनुपस्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/98/1996/ 8909

दिनांक 08.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर को उनके पत्रांक 67 दिनांक 23.10.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार आर्य (RJ00274), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, जोधपुर जिला, जोधपुर।
4. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर जिला, जोधपुर।



सहायक रजिस्ट्रार